(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारीः- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मुकदमा नम्बर	किस्म	तारीख रजू	तारीख निर्णय
...17	दावा	12.05.2017	12.05.2017

दिलखुश पुत्र ठण्डी उम्र 19 साल जाति मीना निवासी खानपुर तहसील सपोटरा जिला करौली (राजस्थान)।

–वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणार्थ अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट.

वादी द्वारा आज राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 मे वाद पत्र पेश किया। प्रकरण को कोर्ट कैम्प मे रैफर किया जाकर पक्षकारान को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप मे वाद तथ्य वादी इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 72/3 रकबा 02 बिस्वा एवं खसरा नं0 69 रकबा 07 बिस्वा वाके ग्राम खानपुर तहसील सपोटरा मे स्थित है। वादी के पिता ठण्डी की फौत होने पर विरासत के नामान्तरकरण मे वादी का नाम सहवन से हनुमान पुत्र ठण्डी दर्ज हो गया था जबकि वादी का सही नाम दिलखुश पुत्र ठण्डी है। वादी का सभी दस्तावेजात मे सही नाम दिलखुश नाम ही दर्ज है। अतः वादी का राजस्व रिकार्ड मे सही नाम दिलखुश दर्ज किया जावे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर कर वादी एवं प्रतिवादी लैण्ड होल्डर को सुना गया। सम्बन्धित पटवारी हल्का, भू0अभिलेख निरीक्षक एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके मुताबिक वादी दिलखुश द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज एवं मजमेआम कैम्प स्थल जांच करने पर पाया गया कि वरवक्त विरासत नामान्तरकरण मे वादी का नाम हनुमान दर्ज कर दिया था जो कि नामान्तरकरण संख्या 207 दिनांक 15.3.2000 मे दर्ज है। परन्तु संलग्न दस्तावेजात जैसे भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, एवं आधार कार्ड इत्यादि मे वादी का नाम दिलखुश पुत्र ठण्डी मीना दर्ज है जो सही है। अतः वादी का नाम दिलखुश पुत्र ठण्डी जाति मीना किया जाना उचित रहेगा।

वादी ने साक्ष्य मे अपना शपथ पत्र एवं दो स्वतंत्र गवाह उदयप्रकाश पुत्र पृथ्वीराज एव पृथ्वीराज पुत्र मट्टूलाल के शपथ पत्र पेश किये। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन

किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम खानपुर, जमाबंदी (खतौनी) ग्राम खानपुर संबत् 2053-2056, सम्बत् 2073-2076 किता दो, सरपंच ग्राम पंचायत चोड़ागांव का प्रमाण पत्र, अंकतालिका की फोटोप्रति, परिवार राशनकार्ड एवं आधार कार्ड से यह स्पष्ट है कि वादी के पिता ठण्डी की फौत होने पर विरासत के नामान्तरकरण मे वादी का नाम हनुमान दर्ज हो गया था जबकि वादी का सही नाम प्रस्तुत सभी दस्तावेजात मे दिलखुश पुत्र ठण्डी दर्ज है, इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे सही नाम दिलखुश किया जाना उचित प्रतीत होता है। दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात, रिपोर्ट पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, तहसीलदार, दो स्वतंत्र गवाहों के बयान के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है। वादी का सही नाम हनुमान पुत्र ठण्डी के स्थान पर दिलखुश पुत्र ठण्डी जाति मीना घोषित किया जाता है। तहसीलदार सपोटरा को वादी की सहखातेदारी की आराजी खसरा नं0 72/3 रकबा 02 बिस्वा एवं खसरा नं0 69 रकबा 07 बिस्वा मे वादी का सही नाम दिलखुश पुत्र ठण्डी जाति मीना दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 12.05.2017 को सरे कैम्प कोर्ट मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

पीठसीन अधिकारी(एसडीएम)
राजस्व लोक अदालत"न्याय आपके द्वार"
सपोटरा जिला करौली (राज0)

राजस्व लोक अदालत अभियान 2017

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमानजी, निवेदन है कि आज दिनांक 12/5/17 को कैम्प- न्याय आपके द्वार
... -चौड़ागाव में प्रार्थना-पत्र बाबत् नाम शुद्धि हेतु दिलखुश मीना ... प्राप्त हुआ जिसकी जाँच संलग्न दस्तावेज एवं कैम्प स्थल पर मजमे आम में करने पर पाया गया कि वरवक्त विरासत नामा० कारण से प्रार्थी का नाम हनुमान दर्ज कर दिया था नामा० सं० 207 में दर्ज था 15/3/74 परन्तु संलग्न प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जैसे अंक तालिका ... राशन कार्ड, एवं आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम दिलखुश S/o छुट्टीराम मीना है जो सही नाम है। अतः प्रार्थी का नाम दिलखुश S/o छुट्टीराम मीना सही की शुद्धि किया जाने की अनुशंषा की जाती है। वर्तमान जमा० सं. 2073-76 के ख.सं.-132, 150 में शुद्धि किया जाना उचित होगा।

पटवारी चौड़ागाव 12/5/17 — I.L.R. नारोली 12/5/17

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट I.L.R. एवं पटवारी एवं संलग्न दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी का नाम हनुमान के स्थान पर दिलखुश S/o छुट्टीराम नाम किया जाने की अनुशंसा की जाती है।

तहसीलदार सपोटरा
12-5-17

~~आदेश~~
आदेश

मुताबिक रिकार्ड संलग्न दस्तावेज, गवाहो के बयान, हलका पटवारी, व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर दावा डिक्री किया जाता है। आदेश पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसले का हलका नम्बर से दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी (SDM)
उपखण्ड अधिकारी
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोटरा, जिला-करौली (राज०)